

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाहीमदेशनिशियल

नम्बर व तारीख
अहकामजोइसहुक्म
की
तामीलमेंजारीहए ।

जेम

अपील नम्बर

2114

26/7/18

वकील फरीकेन उपाय पुनर्निर्माण वाली अपील -
श्रीन रिफाई लामव लेफ्ट पत्रावली दि० 25/9/18
की पेश हो। 15/4

13/11/18 तारीख जेसी अमल नोटिस के
कडली आगे पर पत्रावली अपील पेश हुई।
वकील फरीकेन उपाय 500 लाख रुपया
कार्य में व्यक्त है। पुनर्निर्माण दि० 17/11/18
की पेश हो। 15/4

11/12/18 वकील फरीकेन उपाय पुनर्निर्माण दि०
22/11/19 की पेश हो।

22/1/19 वकील फरीकेन उपाय अपीलवाली रिफाई
तहसील आ लफेयसे लामव लेफ्ट
है। पत्रावली वाली कसल दिनांक 6/3/19
की पेश हो।

6/3/19 वकील फरीकेन उपाय कसल कुनी गर्ई।
पत्रावली वाली कसल दिनांक 19/3/19
की पेश हो।

19/3/19 वकील फरीकेन उपाय अपील अपीलवाली
राखिन की जारी है। विस्तृत विवरण पृथक
के लिखा जाकर शासिका द्वारा पत्रावली
केवल पुनर्निर्माण लेफ्ट नम्बर के अन्तर्गत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किरम	ता0दायरा	तारीख निर्णय
02 / 14	अपील नामा0	13.01.14	19.03.2019

प्रेम पुत्री वीरया उर्फ वीरबल पत्नि प्रहलाद जाति भीना निवारी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-अपीलॉण्ट

बनाम

1. जगराम 2. प्रेमराज पुत्रान लच्छा जाति भीना निवारी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राज0 3. रामकन्या 4. राजन्ती 5. कम्मों पुत्रीयान लच्छा जाति भीना निवारी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राज0 6. लिछमा बेवा लच्छा जाति भीना निवारी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली 7. ग्राम पंचायत एकट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत एकट तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-रेस्पोंडेन्ट्स


अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 05.08.2013 न्यायालय ग्राम पंचायत एकट बाबत नामा0 सं0 1037 ग्राम एकट स्वीकृत किया गया है के विरुद्ध

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि निर्णय दिनांक 05.08.2013 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत एकट बाबत नामा0 सं0 1037 ग्राम एकट खिलाफे कानून रुहदाद मिसल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलॉण्ट द्वारा दिनांक 10.07.2008 को एक वाद न्यायालय हाजा मे आराजी खसरा नं0 288, 290, 697, 702 एवं खसरा नं0 2 तथा खसरा नं0 51, 55 ग्राम एकट का एक वाद धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा व घोषणा खातेदारी कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसका विचारण होने के बाद न्यायालय हाजा ने निर्णय कर वादीया को उक्त भूमि के हिस्से 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा अपीलॉण्ट डिक्री दिनांक 22.06.2011 को किया गया जिसकी अपील रेस्पोंडेन्ट्स व अन्य दावे के प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मे पेश किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गई जो दिनांक 31.10.2012 को दर्ज किये जाने के बाद उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.01.2014 नियत है और उक्त दावे मे पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत है। दौराने दावा रेस्पोंडेंट सं0 3 ता 6 ने रेस्पोंडेंट सं0 1 व 2 के हक मे आराजी खसरा नं0 51 व 55 ग्राम एकट मे से 4/7 हिस्सा का दिनांक 30.07.2013 को अवैध तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहते हुए अपीलॉण्ट से छिपाते हुये हक त्याग पत्र पंजीयन करा लिया और उक्त हक त्याग पत्र के सबब अवैध तौर पर अपीलॉण्ट से छिपाते हुए रेस्पोंडेंट सं0 4 ता 6 ने रेस्पोंडेंट सं0 1 व 2 से साजिश कर अपने हक मे जैर अपील नामान्तरकरण नम्बर 1037 दिनांक 5.8.2013 को दौराने दावा करा लिया है। उक्त हक त्याग पत्र दौराने दावा है लिसपैण्डिस है और अपीलॉण्ट के हक हकूको पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है और अपीलॉण्ट पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय दिनांक 05.08.2013 बाबत नामा0 सं0 1037 ग्राम एकट अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलॉण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 05.08.13 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत एकट निरस्त फरमाया जावे।

सपोटरा, जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
(श्रीमती तारामती वैष्णव)

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट्स जरिये नोटिस की गई। रेस्पोजेन्ट सं० 1 ता 5 ने उपस्थित होकर जरिये वकील वकालतनामा पेश अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोजेन्ट सं० 6 तथा 7 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नहीं आये हैं इसलिए इनके विरुद्ध एक्तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण सं० 1037 ग्राम एकट में अंकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोजेन्ट सं० 3 ता 6 ने अपने हिस्से की आराजी को रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से पंजीयन करा दिया है। रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र का नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल किया जाना कानूनन उचित है। नामान्तरकरण अपील के माध्यम से रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र का नामान्तरकरण को खारिज किया जाना कानूनन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलॉण्ट वकील ने अपील तथ्यों में विवादित आराजीयात पर अस्थायी निषेधाज्ञा लागू होने का जिक्र किया है किन्तु इसके सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का रथगन हो। विवादित आराजीयात से सम्बन्धित वाद पत्र इस न्यायालय में विचाराधीन है इस बावत् पेश की गई वाद पत्र की आदेशिका दिनांक 20.03.2013 तक ही प्रस्तुत की गई है इसके बाद की आदेशिका प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद पत्र की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल सकता है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलॉण्ट खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल प्रति तहसीलदार सपोटरा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली